2015/00008

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/08/20	न्यायालय हाजा में विचाराधिन प्रकरण संख्या 307/18 अनवान सुभानखा बनाम जहुरदीन वगैरा **अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट** में **प्रतिवादीनी सं. 3., 4** के अधिवक्ता सलीम खान मेहर ने एक प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.** के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व ग्राम भीयासर पटवार क्षेत्र भीयासर के खसरा नम्बर 1368 रकबा 11 बीघा 13 बीस्वा व खसरा नम्बर 1368/1 रकबा 11 बीघा 13 बीस्वा कुल रकबा 23 बीघा 06 बीस्वा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा पेश किया कि उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि अपने पिता के खातेदारी की होना बताया तथा उनके फौत होने पर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से नामांतरकरण नहीं भरना होना बताते हुवे उक्त दावा पेश किया है तथा दावा में वादी ने यह स्वीकार किया है कि हमारे पिताजी फौत हुवे तब मेरा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज नहीं किया गया था एंव इनके भाई अनुखां, करीमखां फतेखां के नाम दर्ज कि गई। वकील प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की और से प्रस्तुत पार्थना पत्र में बताया की दिनांक 24 मार्च सन् 1981 को खेत खसरा नम्बर रकबा 23.06 बीघा भूमि अनु उर्फ अनवर , करीमा व फतीमा उर्फ फते खां पिसरान बद्रीखां से नेकु खां पुत्र जानू खां ने जरीये विकय विलेख के खरीद की थी। व नेकु खां से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख के खरिद कि थी उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेख को सिविल न्यायालय दारा ही निरष्त करवाया जा सकता है। उक्त वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है वकील वादी नें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब पेश कर बताया की कथित विकय विलेख को निरस्त करने की वादी ने अपने वाद पत्र में कोई इस्तदुआ नही की है और न ही विकय पत्र निरस्त करने के अभिवचन ही वादी ने किये है वादी ने अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का ही है प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य बन्द होने की स्टेज पर वाद को लम्बा करने की नियत से यह प्रार्थन पत्र पेश	

कलक्टर कोर्ट ... (stamp)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट / कार्यपालक दण्डनायक ... (stamp)
Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.25 13:45:06 IST
Reason: SelfAttested

किया जो खारिज योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 03 व 04 द्वारा पेश प्रार्थना प... खारीज किया जावें।

दौराने बहस वकील प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता ने बताया की वादी ने अपने पिता बदी खां के सभी वारीसान को पक्षाकारान भी नही बनाया है। तथा सभी पक्षकारों के आगे से आगे किस प्रकार खातेदारी अधिकार हस्तान्नतरण हुए हैं यह भी दावें में उलेख नही किया हैं वादी ने अपना वाद आधा अधुरा पेश किया हैं। तथा न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों को पेश नही किया हैं तथा नही वादी ने अपना वाद स्वच्छ हाथों से पेश किया हैं इस लिये वादी का वाद विधि विरूद्व होने से मय खर्चा खारिज किया जावें।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया की वादग्रस्त भूमि वादी के एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता बद्री खां के खातेदारी में थी बद्रीखां के फौत होने पर सभी वारीसान के नाम से बराबर दर्ज हो जानी थी लेकिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नही हुई एंव उनके भाईयों के नाम दर्ज हो गई। इसलिये वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के भाईयों ने अपने हिस्से से ज्यादा हमारे हिस्से कि भूमि का बेचान कर दिया है इसलिये प्रतिवादी संख्या 03 व 04 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें।

वादी एंव प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई एंव प्रार्थना पत्र एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एंव बहस पर मनन से यह पाया गया कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1, 2 व इनके भाई अनुखां, करीमखां फतेखां जो उक्त वाद में पक्षकार नही बनायें गयो है ये सभी बद्री खां के वारिसान है जिसमें से अनुखां, करीमखां फतेखां ने बद्रीखां के फौतेतगी के बाद सम्पूर्ण भूमि अपने नाम से फौतेदगी नामानतकरण दर्ज करवा ली। एवं अनुखां, करीमखां फतेखां सम्पूर्ण भूमि नेकुखां पुत्र जानुखां को बेचान कर दी। एवं नेकुखां ने प्रतिदादी संख्या 3 व 4 को बेचान के जरिये सद्भावी क्रेता को बेचान कर दी एवं उससे प्रतिफल की राशि भी प्राप्त कर मौके पर कब्जा काश्त खरीदार प्रतिवादी संख्या 03 व 04 को सुपुर्द कर दिया है उक्त वादग्रस्त भूमि को अनुखां, करीमखां फतेखां द्वारा बैचान नेकुखां पुत्र जानुखां को कर दी। एवं नेकुखां ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बैचान की इसकी जानकारी वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को भली भांति थी। जिससे यह साबित हो रहा है कि भाईयों ने आपस में दुर्भीसन्धि कर जमीन को वापिस हड़पने के लिये यह दावा पेश किया है वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 चाहते तो अपने भाईयो के विरूद्व बेचान ... [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.25 13:45:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)

बाबत सिविल न्यायालय में चाराजोई कर सकते थे लेकिन अपने भाईयो से मिलावट कर खरीदारो के विरूद्व यह गलत दावा पैश करना साबित हो रहा है एवं वादी ने अपने पिता बद्री खां के सभी वारीसान को पक्षाकारान भी नही बनाया है। तथा सभी पक्षकारों के आगे से आगे किस प्रकार खातेदारी अधिकार हस्तान्नतरण हुए हैं यह भी दावें में उल्लेख नहीं किया हैं वादी ने अपना वाद आधा अधुरा पेश किया हैं। जिस कारण वादी को कोई वादकारण पैदा नही होने से एंव दावा दुर्भीसन्धि का होने से वाद विधिद्वारा वर्जित है जो दावा चलने लायक नही हैं।

अतः प्रतिवादी संख्या 03 व 04 द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.को स्वीकार कर वादी द्वारा पेश वाद खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 18.08.2020 को सरे इजलास मे सुनाया गया।

यशपाल अहूजा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.25 13:45:06 IST
Reason: SelfAttested